सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा .सं :. NCST/ATY-3683/JH/267/2026-RU-IV दिनांक : 19.06.2026

सेवा मे,

उपायुक्त,
जिला-गुमला,
उपायुक्त का कार्यालय,
समाहरणालय भवन,
गुमला, झारखंड 835207
ई-मेल: dc-gum@nic.in

पुलिस अधीक्षक,
जिला-गुमला,
पुलिस अधीक्षक कार्यालय, समाहरणालय भवन,
गुमला, झारखंड 835207
ई-मेल: sp-gum@nic.in

विषय: **थाना प्रभारी (अनुसूचित जाति/जनजाति थाना) द्वारा प्राप्त शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज न करने तथा पंचायती राज सचिव एवं अन्यों के विरूद्ध अवैध हस्तक्षेप करने के विरूद्ध शिकायत – श्री राजेश्वर तिर्की, वेल/दीवान (पारंपरिक ग्राम प्राधिकारी), ग्राम-गुमला करमटोली, पोस्ट-गुमला, थाना-मौजा नवाडीह थाना नं.29, जिला-गुमला (झारखंड़) का दिनांक 20.01.2026 का पत्र/अभ्यावेदन।**

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आयोग की माननीय सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 05.06.2026 को आयोग मे हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि सिटिंग के कार्यवृत्त मे की गई अनुशसाओं पर अनुपालन रिपोर्ट / की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 30 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करने का कष्ट करें ।

भवदीय

19.6.26

(प्रवीण कुमार सिंह / Praveen Kumar Singh)
अवर सचिव / Under Secretary
E.mail ID: ru4-hq@ncst.nic.in
Ph. No. 011-24645826

प्रतिलिपि सूचनार्थ-:
श्री राजेश्वर तिर्की,
वेल/दीवान (पारंपरिक ग्राम प्राधिकारी),
ग्राम-गुमला करमटोली, पोस्ट-गुमला,
थाना-मौजा नवाडीह थाना नं.29,
जिला-गुमला (झारखंड़) - 835233,
Mobile No: 9341931532

PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
NIC for uploading

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

NCST/ATY-3683/JH/267/2026-RU-IV

श्री राजेश्वर तिर्की, वेल/दीवान (पारंपरिक ग्राम प्राधिकारी), ग्राम-गुमला करमटोली, पोस्ट-गुमला, थाना/मौजा नवाडीह, थाना नं.-29, जिला-गुमला (झारखंड) से प्राप्त अभ्यावेदन "थाना प्रभारी (अनुसूचित जाति/जनजाति थाना) द्वारा शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज न करने तथा पंचायती राज सचिव एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा पारंपरिक ग्राम शासन व्यवस्था में अवैध हस्तक्षेप" के मामले में दिनांक 05.06.2026 को सर्किट हाउस गुमला, झारखण्ड में आयोग के समक्ष हुई सुनवाई का कार्यवृत।

सिटिंग की दिनांक: 05.06.2026

सिटिंग का स्थान :- सर्किट हाउस गुमला, झारखण्ड

सिटिंग में उपस्थित प्रतिभागी: अनुलग्नक-I के अनुसार

अभ्यावेदक श्री राजेश्वर तिर्की, वेल/दीवान (पारंपरिक ग्राम प्राधिकारी), ग्राम-गुमला करमटोली, पोस्ट-गुमला, थाना/मौजा नवाडीह, जिला-गुमला (झारखंड) द्वारा दिनांक 20.01.2026 को आयोग में अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है।अभ्यावेदन में उल्लेख किया गया है कि अनुसूचित क्षेत्रों में परंपरागत ग्राम स्वशासन व्यवस्था एवं ग्राम सभा की शक्तियों को संवैधानिक एवं वैधानिक संरक्षण प्राप्त है। इसके बावजूद कुछ व्यक्तियों, जिनमें पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े पदाधिकारी/सचिव भी शामिल बताए गए हैं, द्वारा कथित रूप से ग्राम सभा एवं पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था में हस्तक्षेप किया जा रहा है। अभ्यावेदक का आरोप है कि ग्राम सभा द्वारा अपनी पारंपरिक एवं वैधानिक शक्तियों के अनुरूप स्वशासन संबंधी कार्रवाई प्रारंभ की गई थी, किन्तु संबंधित व्यक्तियों द्वारा उसमें बाधा उत्पन्न की गई। अभ्यावेदक ने यह भी उल्लेख किया है कि उन्होंने अनुसूचित जाति/जनजाति थाना, गुमला में शिकायत प्रस्तुत की थी तथा दिनांक 12.01.2026 को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा-4 के अंतर्गत शिकायत दर्ज कराने का अनुरोध किया था, किन्तु शिकायत के बावजूद प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई।अभ्यावेदक ने आयोग से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी अधिकारियों एवं व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने तथा पारंपरिक ग्राम सभा एवं स्वशासन व्यवस्था के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है।

2. प्रकरण में आयोग द्वारा दिनांक 10.03.2026 को उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक, गुमला (झारखंड) को नोटिस निर्गत कर 15 दिनों के भीतर तथ्यात्मक प्रतिवेदन एवं की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया। जिसके सम्बन्ध विभाग से कोई जवाब प्राप्त नही हुआ

3. तत्पश्चात मामले की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए आयोग द्वारा उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक, गुमला (झारखंड) को माननीय सदस्या डॉ. आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 05.06.2026 को गुमला, झारखंड में निर्धारित सुनवाई में आयोग के समक्ष उपस्थित होने हेतु सिटिंग नोटिस जारी किया गया है।

4. सुनवाई में उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक, गुमला व् अभ्यावेदक उपस्थित रहे

5. सुनवाई के दौरान उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक, गुमला ने आयोग के समक्ष अपना जवाब प्रस्तुत किया जिसमे बताया की आवेदक द्वारा अभ्यावेदन में लगाए गए आरोप राज्यस्तरीय है जिन पर यहाँ से कार्यवाही किया जाना उचित नही है तथा ये सभी विषय राज्य के नीतिगत मामले है तथा साथ ही अभ्यावेदक ने भी अपने पक्ष रखे

6. मामले की सुनवाई के पश्चात आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुशंषा की जाती है

I. इस मामले में गुमला के उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक संयुक्त रूप से समस्त अभ्यावेदकों के साथ जिले में एक बैठक आयोजित करें। बैठक की सूचना विधिवत जारी कर सभी संबंधित पक्षों को सम्मिलित होने तथा अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया जाए। बैठक में उठाए गए सभी विषयों पर यथोचित विचार कर उनका निष्पादन सुनिश्चित किया जाए तथा की गई कार्रवाई से आयोग को 30 दिवस के भीतर अवगत कराया जाए।

आशा लकड़ा
12/06/2026

(डॉ. आशा लकड़ा)
सदस्या
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi